(U.G.C. Approved Journal No. : 41329) ISSN No. - 2319–5908

Hindi : Shodh Sandarsh-VII, Vol.-XXIV, June 2019, Page 578–581

General Impact Factor : 1.7276, Scientific Journal Impact Factor : 6.756

दो पाटों के बीच पीसती नारी....

*डॉ. वैशाली खेडकर**

आत्मकथात्मक साहित्य में रचनाकार के विचारों, भावों एवं मान्यताओं का प्रतिबिंब होता है। आत्मकथा एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक स्वयं महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह केवल लेखक की आत्मकहानी नहीं बल्कि समाजोपयोगी साहित्यिक विधा भी है। विभिन्न वर्गों के लेखकों ने आत्मकथा में अपने अनुभवों को ईमानदारी से चित्रित करते हुए नए विश्व एवं नए विषय क्षितिजों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। आत्मकथा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी अतुलनीय है। नारी मुक्ति आंदोलन, आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा प्रसार, कानूनी प्रावधान एवं समाजसुधारकों के प्रयास आदि के कारण नारी जीवन में क्रांतिकारी उत्थान हुआ है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अग्रेसर होनेवाली नारी ने साहित्य जगत् में भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। इन महिला लेखिकाओं ने अपनी भोगी हुई जिंदगी और अनुभवों को संवदेना के साथ आत्मकथा में अभिव्यक्त किया है।

लेखिकाओं की आत्मकथाओं में पाठकों के सामने नारी–जीवन के अनेक अस्पर्शित, अनजाने विषय उद्घाटित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप नारी की ओर देखने की परंपरागत मानसिकता एवं सोच में परिवर्तन आ रहा है। महिलाओं के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान और सुधार पर बल दिया जा रहा है। इससे लाभान्वित महिलाएँ पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मानदंडों और अत्याचारमूलक व्यवस्था का विरोध कर रही हैं। बावजूद महिलाओं की संघर्ष कथा का अंत नहीं हुआ है। साहित्यिक क्षेत्र में अत्युच्च स्थान प्राप्त करनेवाली स्त्रियों को भी अपनी कामयाबी की किमत चुकानी पड़ी है। हिदी में अन्या से अनन्या, लगता नहीं है दिल मेरा, एक कहानी यह भी, कस्तूरी कुंडल बसै, गुड़िया भीतर गुड़िया, पिंजरे की मैना, हादसे, और....और.... औरत आदि आत्मकथाएँ इसी बात को रेखांकित करती है।

आज देश की आर्थिक व्यवस्था में स्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय में उनकी 70 प्रतिशत भागीदारी है। आधुनिक काल में शिक्षा प्रसार, स्त्री मुक्ति की भावना एवं समाज सुधारकों के प्रयास के कारण स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज स्त्रियाँ आत्मनिर्भर बनने हेतु और परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध क्षेत्रों में नौकरी व व्यवसाय करने लगी हैं। "भारतीय संविधान के राज्य के नीति दर्शक तत्वों के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों की भाँति कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार है, जो समाज के नैतिक आचरण के विरूद्ध न हो।"[1] इसीलिए आज हर क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के बराबर या उनसे भी दो कदम आगे रहकर अपनी योग्यता, क्षमता एवं कुशलता का परिचय दे रही है। वह आर्थिक रूप से अब पति पर निर्भर नहीं है। आर्थिक स्वावलंबन के कारण अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास उसमें जागृत हुआ है। वैसे देखा जाए तो हर महिला कामकाजी होती है। जिनकी हम गृहिणी कहकर उपेक्षा करते हैं वे घर में ऑफिस से ज्यादा घंटे काम करती हैं। पर इनकी भूमिका को दोयम माना जाता है और इसका कुछ मुआवजा भी नहीं दिया जाता। वह अकेले ही पूरे परिवार का कार्यभार संभालती है, लेकिन भारतीय परिवारों में इसतरह के काम से स्त्री की कोई पहचान नहीं बनती।

वर्तमान समय में बाहरी कार्यक्षेत्र में स्त्रियों का योगदान बढ़ा है लेकिन इस आर्थिक आज़ादी ने स्त्रियों को दोहरी–तिहरी जिम्मेदारी से जकड़ दिया है। घर के कामों से उसे मुक्ति नहीं मिली है। विवेच्य महिला आत्मकथाकारों में भी कई लेखिकाएँ नौकरी या व्यवसाय करती हैं। उन्होंने घर, नौकरी संभालते हुए अपना सृजन कार्य जारी रखा। यह तिहरी जिम्मेदारी संभालते हुए उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष का वर्णन तो आत्मकथा में हुआ ही है साथ ही उनके द्वारा रचित अन्य साहित्य में भी स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण मिलता है। इसी संदर्भ में वर्जीनिया वुल्फ ने स्त्रीवादी लेखिका होने के लिए एक बात आवश्यक मानी है, "अगर कोई स्त्री किसी भी तरह की दास्तान लिख रहीं है तो यह जरुरी है कि

* *सहायक अध्यापक, हिन्दी विभाग, महात्मा फुले महाविद्यालय, पिपरी, पुणे*

MAHATMA PHULE MAHAVIDYALAYA • PIMPRI PUNE-17